राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांकः–एफ 7 (495)परि/नियम/मु./2013 / 18810 जयपुर, दिनांकः–24/9/15

कार्यालय आदेश...34./2015

यह सर्व विदित है कि विगत दिनों से राजस्थान राज्य में अनेक नई–नई कैब सर्विसेज स्थापित हो रही है जिनमें उबर कैब, ओला, ओमनी, माई कैब, मैट्रो कैब, मेरू केब, टैक्सी फॉर श्योर आदि मुख्य है। उक्त कम्पनियों के अतिरिक्त अन्य स्थानीय कम्पनियों द्वारा भी राज्य में टैक्सी/कैब सेवाएं संचालित की जा रही है।

यह भी जानकारी में आया है कि इन कैब सर्विस प्रदाओं एवं कैब चालकों द्वारा मोटर यान अधिनियम व नियमों की पालना पूर्ण रूप से नहीं की जा रही है। इनका संचालन निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं किया जा रहा है। ऐसे में इन कैब्स/टैक्सी के चालकों की संलिप्तता अपहरण एवं दुष्कर्म जैसी घटनाओं में पाये जाने से तथा इनके विरूद्व प्रभावी कार्यवाही नहीं हो पाने से राज्य सरकार एवं परिवहन विभाग को जनाक्रोश का सामना करना पड़ रहा है।

इस संबंध में मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 93 में स्पष्ट रूप से प्रावधान उपलब्ध है कि कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक सेवायानों (टैक्सी/मैक्सी/बस/मिनी बस) द्वारा यात्री के लिये टिकटों के विक्रय हेतु अभिकर्त्ता या प्रचारक (agent and canvasser) का कार्य अथवा ऐसे यानों के लिये ग्राहकों की अन्य रूप से याचना (other wise solicit) का कार्य तभी कर सकेगा जबकि उसने सक्षम प्राधिकारी से अनुज्ञप्ति प्राप्त कर ली है और राज्य सरकार द्वारा विहित की गयी शर्तो के अद्यधीन ही कार्य करने हेतु बाध्य है।

उक्त प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा राजस्थान मोटर यान नियम, 1990 के नियम 5.73 में विस्तृत प्रावधान किये गये है। इनके अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी से इस संबंध में अनुज्ञप्ति प्राप्त किये बिना अथवा इस नियम में निर्धारित शर्तों की अवहेलना करते हुए यदि किसी कम्पनी/व्यक्ति पर्यटकों या यात्रियों को सार्वजनिक सेवा यान, जिनमें टैक्सी/मैक्सी कैब सम्मिलित है, की सेवाएं उपलब्ध कराने के व्यवसाय संलिप्त हो तो ऐसी कम्पनी/सेवा प्रदाता के विरूद्ध अधिनियम/नियम के प्रावधानों के तहत कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

सार्वजनिक सेवा यानों (public service vehicle) के सर्विस प्रदाता/एजेन्ट हेतु मोटर यान अधिनियम, 1988 एवं राजस्थान मोटर यान नियम, 1990 में स्पष्ट प्रावधान होने के उपरान्त भी इनकी पालना नहीं किया जाना, राज्य सरकार द्वारा गंभीरता से लिया गया है।

अतः समस्त अनुज्ञप्ति अधिकारी/प्रादेशिक परिवहन अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि राज्य में संचालित ऐसे समस्त सेवा प्रदाताओं की विस्तृत जांच कर प्रावधानों की पूर्ण पालना सुनिश्चित करावें तथा प्रावधानों की पालना न करने वाले सेवा प्रदाताओं एवं सार्वजनिक सेवा यान (टैक्सी/मैक्सी/बस/मिनी बस) के स्वामियों/चालको के विरूद्ध नियमानुसार उनके कार्यालयों को सील करने, वाहन के परमिट/फिटनेस/पंजीयन प्रमाण पत्र निलम्बित करने, चालक लाईसेन्स निलम्बित करने आदि कठोर कार्यवाही करते हुए सक्षम न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किए जाए।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि महिला यात्रियों की सुरक्षा की दृष्टि से राजस्थान मोटर यान नियम, 1990 के नियम 5.19 में दिनांक 31.08.2015 को किये गये संशोधनों के अनुसार संविदा यानों की परमिट शर्तो में कुछ विशेष शर्ते और जोड़ी गयी हैं। उक्त शर्तो की पालना समस्त संविदा यानों (टैक्सी/मैक्सी/बस/मिनी बस) में करायी जानी सुनिश्चित की जाएं।

(गायत्री राठौड)
परिवहन आयुक्त एवं शासन सचिव
राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः–एफ 7 (495)परि/नियम/मु./2013 /18819-26 जयपुर, दिनांकः-24-9-15

प्रतिलिपिः–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय परिवहन मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय परिवहन राज्य मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, परिवहन आयुक्त एवं शासन सचिव, राज. जयपुर।
4. समस्त अधिकारीगण, मुख्यालय।
5. समस्त प्रादेशिक/अतिरिक्त प्रादेशिक परिवहन अधिकारी।
6. समस्त जिला परिवहन अधिकारी।
7. श्री संजय सिंघल, सिस्टम एनालिस्ट को परिवहन विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8. रक्षित पत्रावली।

परिवहन आयुक्त एवं शासन सचिव